प्रेस नोट
थाना मऊरानीपुर, झांसी

दिनाँक 23.12.2025

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही.**
- **पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 03 बदमाश गिरफ्तार.**
- **कब्जे से लूटे गए रू/2,50,000 (दो लाख पचास हजार), घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा-कारतूस व मोटर साइकिल बरामद.**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह के कुशल निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल पर्यवेक्षण व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण एवं घटनाओं की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना मऊरानीपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 575/2025 धारा 309(4) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.राजू उर्फ जितेन्द्र राजपूत पुत्र हरीराम निवासी डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 2. मिथुन राजपूत पुत्र स्वामी निवासी डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 3.सन्तोष पुत्र मोतीलाल विश्वकर्मा निवासी बडालिधौरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 को पुलिस मुठभेड़ में बड़ागांव तिगैला के पास थानाक्षेत्र मऊरानीपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट की घटना से सम्बन्धित 2,50,000/ (दो लाख पचास हजार रूपये), घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं अवैध असलहा कारतूस बरामद किया गया । पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.12.2025 को वादी श्री राजेन्द्र शिवहरे पुत्र श्री मोहन बाबू शिवहरे निवासी लभेडपुरा नाका चन्द्रबदनी लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा थाना मऊरानीपुर पर प्रार्थना-पत्र देते हुए बताया कि दिनांक 22.12.2025 को समय लगभग 16:30 बजे राजू उर्फ जितेन्द्र राजपूत ने सोना बेचने के बहाने उसे नगद रूपये लेकर आने को कहा। उसकी बातों में आकर वादी अपने पुत्र दिव्यांश के साथ 2,50,000 रुपये नगद लेकर कार संख्या MP-07 CD-5413 से ग्वालियर से गरौठा चौराहा पहुँचा।

समय लगभग 18:30 बजे गरौठा चौराहा पर राजू उर्फ जितेन्द्र राजपूत पुत्र हरीराम निवासी डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 2. मिथुन राजपूत पुत्र स्वामी निवासी डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 3.सन्तोष पुत्र मोतीलाल विश्वकर्मा निवासी बडालिधौरा थाना

लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 4. रविन्द्र लोधी पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 मिले। बातचीत के दौरान रविन्द्र लोधी ने वादी के हाथ से पीले रंग के थैले में रखे 2,50,000 रुपये छीनकर राजू उर्फ जितेन्द्र को दे दिए। इसके बाद राजू, मिथुन व सन्तोष बिना नम्बर की काली पल्सर मोटरसाइकिल से रुपये लेकर फरार हो गए। शोर मचाने पर रविन्द्र लोधी पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 को मौके पर पकड़ लिया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 575/2025 धारा 309(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रविन्द्र लोधी से पूछताछ के उपरान्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 23.12.2025 को समय लगभग 01:00 बजे चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्य अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-</u>

1.राजू उर्फ जितेन्द्र राजपूत पुत्र हरीराम निवासी डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0
2. मिथुन राजपूत पुत्र स्वामी निवासी डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0
3.सन्तोष पुत्र मोतीलाल विश्वकर्मा निवासी बडालिधौरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0
4. रविन्द्र लोधी पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम डल्लूपुरा थाना लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0

<u>बरामदगी-</u> 1- 2,50,000/ (दो लाख पचास हजार रूपये)
2- 01 तमंचा, 01 जिन्दा एवं 01 खोखा कारतूस
3- 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट

<u>पुलिस टीम-</u> थाना मऊरानीपुर पुलिस टीम